

60

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.)

ई.मेल. nli43cxen@rediffmail.com

वचन पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच 343 के कुल कि.मी. 114.800 अम्बिकापुर से रामानुगंज रोड में 2/4 लेन मय पेव्डड भोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण के लिये बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र राजपुर, रामानुगंज, बलरामपुर के आरक्षित वन के कम्पार्टमेंट न० 2754-1.613 हे०, 2753-4.763 हे० जिसका कुल रकबा 6.376 हे० व संरक्षित वन भूमि के कम्पार्टमेंट न० P2724-3.361 हे०, P2726-2.081 हे०, P2743-3.564 हे०, P2758-3.668 हे०, P2806-6.238 हे०, P2807-1.286 हे०, P2766-1.295 हे०, P2824-5.764 हे०, P2823-1.165 हे०, P2805-4.292 हे०, P2804-6.659 हे०, P3391-5.922 हे०, P3392-3.434 हे०, P3373-0.390 हे०, P3374-0.735 हे०, P3375-2.920 हे०, P3395-3.699 हे०, P3398-1.768 हे०, P3342-3.204 हे०, P3340-0.941 हे०, P3403-2.119 हे०, P3399-3.809 हे०, P3408-1.240 हे०, P3417-1.650 हे०, P3420-3.976 हे०, P34224.120 हे०, P3424-0.784 हे०, P3423-0.098 हे०, जिसका कुल रकबा 80.182 हे०, एवं राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरो/सर्वे न० 9/2-0.284 हे०, 65/63-0.660 हे०, 127/1-0.612 हे०, 57/1-0.006 हे०, 82/1-0.325 हे०, 748/2-0.008 हे०, 176/18-0.638 हे०, 40/198-0.564 हे०, 307-0.325 हे०, 81/2-0.270 हे०, 3/1-0.011 हे०, 204/1-0.037 हे०, 150/1-0.316 हे०, 150/20-0.255 हे०, 89/66-0.019 हे०, 21/1-0.122 हे०, 281-0.248 हे०, 4-0.004 हे०, 375-0.010 हे०, 216-0.0001 हे०, 176-0.0001 हे०, 125-0.406 हे०, 136-0.001 हे०, 131-0.217 हे०, 141-0.130 हे०, 142-0.236 हे०, 257/1-0.025 हे०, 4-0.011 हे०, 5-0.013 हे०, 81-0.103 हे०, 86-0.038 हे०, 281-0.002 हे०, 280-0.001 हे०, जिसका कुल रकबा 5.897 हे०) का निरिक्षण कर कुल क्षेत्रफल रकबा 92.455 हे०. . . क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्तें लागू की जावेंगी वह मान्य होगी। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी) उपलब्ध कराने हेतु विभाग वचनबद्ध है



कार्यपालन अभियन्ता

लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.)

ई.मेल. nh43exen@rediffmail.com

वचन पत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच 343 के कुल कि.मी. 110.000 अम्बिकापुर से रामानुगंज रोड में 2/4 लेन मय पेव्ड भोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/सन्वयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण के लिये सरगुजा/सूरजपुर जिले का निरीक्षण कर कुल क्षेत्रफल रकबा 9.869 हे. का चयन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है -

3. अम्बिकापुर वनपरिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के कंपार्टमेंट नं0 PF2535 जिसका कुल रकबा 37.428 हे. में से प्रभावित रकबा 2.442 हे. एवं मेंझाखुर्द राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरो/सर्वे नं0 736/1, 615, 616, 781/1 जिसका कुल रकबा 15.829 हे. में प्रभावित से रकबा 1.567 हे., किशुननगर राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरो/सर्वे नं0 431/1 जिसका कुल रकबा 6.070 हे. में से प्रभावित रकबा 0.208 हे., रजपुरीखुर्द राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरो/सर्वे नं0 16 जिसका कुल रकबा 0.026 हे. में से प्रभावित रकबा 0.015 हे. है। इस प्रकार अम्बिकापुर के वनपरिक्षेत्र के संरक्षित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का कुल रकबा 4.232 हे. है।

4. सरगुजा वनमण्डल के संरक्षित वनभूमि के कंपार्टमेंट नं. PF2577 के प्रभावित रकबा ~~5.637~~ हे. है।

उपरोक्त वन भूमि की मांग न्यूनतम है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत कुल रकबा 9.869 हे. क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्तें लागू की जावेंगी वह मान्य होगी। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी) उपलब्ध कराने हेतु विभाग वचनबद्ध है।



बृजेश पटोरिया
कार्यपालन अभियन्ता
लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
अम्बिकापुर (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लो0नि0वि0 राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.)
 ई.मेल.nh43exen@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 10

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच 343 के कुल कि.मी. 114.800 अम्बिकापुर से रामानुगंज रोड में 2/4 लेन मय पेव्डड भोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण के लिये बलरामपुर वनमण्डल अंतर्गत परिक्षेत्र राजपुर, रामानुगंज, बलरामपुर के आरक्षित वन के कंपार्टमेंट नं० 2754-1.613 हे०, 2753-4.763 हे० जिसका कुल रकबा 6.376 हे० व संरक्षित वन भूमि के कंपार्टमेंट नं० P2724-3.361 हे०, P2726-2.081 हे०, P2743-3.564 हे०, P2758-3.668 हे०, P2806-6.238 हे०, P2807-1.286 हे०, P2766-1.295 हे०, P2824-5.764 हे०, P2823-1.165 हे०, P2805-4.292 हे०, P2804-6.659 हे०, P3391-5.922 हे०, P3392-3.434 हे०, P3373-0.390 हे०, P3374-0.735 हे०, P3375-2.920 हे०, P3395-3.699 हे०, P3398-1.768 हे०, P3342-3.204 हे०, P3340-0.941 हे०, P3403-2.119 हे०, P3399-3.809 हे०, P3408-1.240 हे०, P3417-1.650 हे०, P3420-3.976 हे०, P34224.120 हे०, P3424-0.784 हे०, P3423-0.098 हे०, जिसका कुल रकबा 80.182 हे०, एवं राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरो/सर्वे नं० 9/2-0.284 हे०, 65/63-0.660 हे०, 127/1-0.612 हे०, 57/1-0.006 हे०, 82/1-0.325 हे०, 748/2-0.008 हे०, 176/18-0.638 हे०, 40/198-0.564 हे०, 307-0.325 हे०, 81/2-0.270 हे०, 3/1-0.011 हे०, 204/1-0.037 हे०, 150/1-0.316 हे०, 150/20-0.255 हे०, 89/66-0.019 हे०, 21/1-0.122 हे०, 281-0.248 हे०, 4-0.004 हे०, 375-0.010 हे०, 216-0.0001 हे०, 176-0.0001 हे०, 125-0.406 हे०, 136-0.001 हे०, 131-0.217 हे०, 141-0.130 हे०, 142-0.236 हे०, 257/1-0.025 हे०, 4-0.011 हे०, 5-0.013 हे०, 81-0.103 हे०, 86-0.038 हे०, 281-0.002 हे०, 280-0.001 हे०, जिसका कुल रकबा 5.897 हे०) का निरीक्षण कर कुल क्षेत्रफल रकबा 92.455 हे०. क्षेत्र में वन भूमि/राजस्व वन क्षेत्र का मैं वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु मांग न्यूनतम तथा आवश्यक है उक्त चयनित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।

कार्यपालन अभियन्ता

लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विवेकानंद झा (भा.व.से.)

वनमंडलाधिकारी

बलरामपुर वन मण्डल

बलरामपुर (छ.ग.)

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता
लो०नि०वि० राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.)
 ई.मेल.nh43exen@rediffmail.com

चेक लिस्ट क. 10

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच 343 के कुल कि. मी. 110.000 अम्बिकापुर से रामानुगंज रोड में 2/4 लेन मय पेव्डड भोल्डर मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य प्रस्तावित है। इस हेतु पहुँच मार्ग के निर्माण के लिय सरगुजा/सूरजपुर जिले का निरीक्षण कर कुल क्षेत्रफल रकबा **9.869** हे. का चयन किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है -

1. अम्बिकापुर वनपरिक्षेत्र के संरक्षित वन भूमि के कंपार्टमेंट न० **PF2535** जिसका कुल रकबा **37.428** हे. में से प्रभावित रकबा **2.442** हे. एवं मेंझाखुर्द राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरो/सर्वे न० **736/1,615,616,781/1** जिसका कुल रकबा **15.829** हे. में प्रभावित से रकबा **1.567** हे., किशुननगर राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरो/सर्वे न० **431/1** जिसका कुल रकबा **6.070** हे. में से प्रभावित रकबा **0.208** हे., रजपुरीखुर्द राजस्व वन भूमि के विभिन्न खसरो/सर्वे न० **16** जिसका कुल रकबा **0.026** हे. में से प्रभावित रकबा **0.015** हे. है। इस प्रकार अम्बिकापुर के वनपरिक्षेत्र के संरक्षित वनभूमि/राजस्व वनभूमि का कुल रकबा **4.232** हे. है।
 2. ~~सरगुजा~~ वनमण्डल के संरक्षित वनभूमि के कंपार्टमेंट नं. **PF2577** के प्रभावित रकबा **5.637** हे. है।
- उपरोक्त वन भूमि की मांग न्यूनतम है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत कुल रकबा **9.869** हे. क्षेत्र में वन भूमि/राजस्व वन क्षेत्र का में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु मांग न्यूनतम तथा आवश्यक है उक्त चयनित भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।


बृजेश पटोरिया
 कार्यपालन अभियन्ता
 लो.नि.वि., राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग
 अम्बिकापुर (छ.ग.)


पंकज कगल (शा.व.से.)
 वनमंडलाधिकारी
 सरगुजा वन मण्डल
 अम्बिकापुर (छ.ग.)